झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग के माननीय अध्यक्ष, श्री हिमांशु शेखर चौधरी एवं माननीय सदस्या श्रीमती शबनम परवीन के दिनांक–20.02.2023 से दिनांक–23.02.2023 तक जामताड़ा, दुमका एवं गोड्डा जिले के भ्रमण से सम्बन्धित भ्रमण प्रतिवेदन।

1. **जामताड़ा जिला में दिनांक–20.02.2023 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक जनसुनवाई कार्यक्रम।**

- दिनांक–20.02.2023 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक जामताड़ा जिला के परिसदन भवन में जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आयोग के अध्यक्ष, श्री हिमांशु शेखर चौधरी एवं सदस्या, श्रीमती शबनम परवीन के अलावे जामताड़ा जिले के अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, सिविल सर्जन, जिला शिक्षा पदाधिकारी आदि उपस्थित रहे। जनसुनवाई में कुल 07 शिकायतें आयोग को प्राप्त हुई। इसके अलावे आयोग में दर्ज लंबित शिकायतों की प्रति पुनः सम्बन्धित पदाधिकारियों को उपलब्ध कराते हुए शीघ्र कार्रवाई करने एवं कृत कार्रवाई से आयोग को अवगत कराने का निदेश दिया गया।

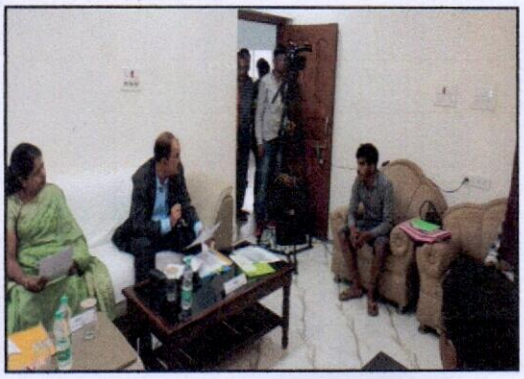

- उपस्थित अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, जामताड़ा को निदेशित किया गया कि जिले के हर पंचायत भवन के बाहर होर्डिंग/बैनर लगवाना सुनिश्चित करें, जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 से सम्बन्धित योजनाओं की जानकारी अंकित हो, ताकि योजनाओं की जानकारी लाभुकों को मिल सके।

2. **जामताड़ा जिला में दिनांक–20.02.2023 को अपराह्न 02.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक जिले के पंचायतों के मुखिया के साथ संवाद।**

- दिनांक–20.02.2023 को अपराह्न 02.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक जामताड़ा जिला अन्तर्गत आने वाले प्रखण्डों के विभिन्न पंचायतों के मुखिया के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुखिया के साथ संवाद कार्यक्रम में जिले के 118 में से 66 पंचायतों के मुखियागण उपस्थित हुए।

संवाद कार्यक्रम के दौरान आयोग के अध्यक्ष, श्री हिमांशु शेखर चौधरी एवं सदस्या, श्रीमती शबनम परवीन के अलावे जामताड़ा जिले के अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, सिविल सर्जन, जिला शिक्षा अधीक्षक आदि उपस्थित रहे। सभी पदाधिकारियों द्वारा अपने–अपने विभाग के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 से सम्बन्धित योजनाओं की जानकारी दी गई। अध्यक्ष श्री हिमांशु शेखर चौधरी द्वारा मुख्य रूप से योजनाओं के क्रियान्वयन में पंचायत एवं मुखिया की भूमिका पर प्रकाश डाला गया।

आयोग की ओर से सभी मुखियागणों के बीच किट का वितरण किया गया, जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 से सम्बन्धित यथा जनवितरण प्रणाली, आंगनबाड़ी, मध्याह्न भोजन एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से सम्बन्धित जानकारी दी गई है।

3. जामताड़ा जिले के पदाधिकारियों द्वारा संबोधन

- अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, जामताड़ा द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के तहत् संचालित सभी योजनाओं से अवगत कराया गया। उनके द्वारा बताया गया कि मुखियागण ही लाभुकों को जागरूक करने का कार्य कर सकते हैं। अधिनियम के अन्तर्गत संचालित योजनाएँ यथा–जनवितरण प्रणाली, मध्याह्न भोजन एवं आंगनबाड़ी केन्द्र से सम्बन्धित किसी प्रकार की शिकायत होने पर अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त वाट्सएप्प नं0–8969583111 पर भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, जामताड़ा द्वारा बताया गया कि जिले में कुल–144 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें से 137 शिकायतों को निष्पादित किया जा चुका है। राज्य में आकस्मिक खाद्यान्न कोष का गठन किया गया है एवं सभी पंचायतों को 10,000/–रू0 की राशि उपलब्ध कराई जाती है। जो गरीब हैं एवं उनका जीविकोपार्जन नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में इस राशि से 10 कि0ग्रा0 अनाज लाभुक को उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। राशि समाप्त होने पर पुनः पंचायत को 10,000/– रू0 उपलब्ध कराई जाती है।
- जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जामताड़ा द्वारा अपने संबोधन में कहा गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अन्तर्गत तीन प्रकार के राशन कार्ड निर्गत किये गये हैं यथा–अंत्योदय कार्ड, PHH कार्ड एवं सफेद कार्ड। अंत्योदय राशन कार्ड में प्रति परिवार 35 कि0ग्रा0 राशन निःशुल्क एवं PHH राशन कार्ड में प्रति सदस्य 5 कि0ग्रा0 राशन निःशुल्क देने का प्रावधान है। जबकि सफेद

राशन कार्ड में केवल किरासन तेल दिये जाने का प्रावधान है। प्राथमिकता सूची में सबसे पहले PVTG परिवार का राशन कार्ड बनाया जाता है। मुखियागण से अनुरोध किया गया कि किसी अयोग्य व्यक्ति का राशन कार्ड नहीं बने।

- जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जामताड़ा द्वारा मुखियागण को संबोधित करते हुए कहा गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के तहत् आंगनबाड़ी केन्द्रों में लाभुकों के बीच पूरक पोषाहार का वितरण नियमित रूप से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं को 5000/– रू0 की राशि देने का प्रावधान है।
- सिविल सर्जन, जामताड़ा द्वारा बताया गया कि जननी सुरक्षा योजना के तहत् गर्भवती महिला को प्रसव के बाद 1400/– रू0 पोषाहार के लिये दी जाती है। इस वर्ष कुल 9129 महिलाओं का प्रसव हुआ एवं प्रत्येक लाभुक को 1400/– की राशि दी गई। उनके बीच आयरन एवं कैल्सियम की टैबलेट का भी वितरण किया जाता है। अति कुपोषित बच्चों को कुपोषण उपचार केन्द्र में भर्ती किया जाता है, बच्चों को खाना दिया जाता है। केन्द्र में बच्चे के साथ रहने वाली उनकी माँ को भी 120/– रू0 खाना के लिये दिया जाता है। मुखियागण से आग्रह किया गया कि वे इस योजना का प्रचार करें एवं कुपोषित बच्चों को केन्द्र में भर्ती कराएँ, ताकि उनका ईलाज किया जा सके।
- जिला शिक्षा अधीक्षक, जामताड़ा द्वारा बताया गया कि कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों के लिये विद्यालयों में मध्याह्न भोजन संचालित है। विद्यालय में विद्यालय समिति गठित है, उनके द्वारा ही विद्यालय में बच्चों को मेन्यू के अनुसार मध्याह्न भोजन बनाने की व्यवस्था की जाती है। प्रत्येक विद्यालय में बोर्ड भी लगा हुआ है, जिसमें मध्याह्न भोजन से सम्बन्धित मेन्यू अंकित है। सप्ताह में दो दिन बच्चों के बीच अण्डा का वितरण किया जाता है एवं शाकाहारी बच्चों को अण्डा के स्थान पर फल दिया जाता है। सभी मुखियागण से आग्रह किया गया कि वे अपने–अपने क्षेत्र के विद्यालयों की जाँच करें।

4. जामताड़ा जिला अन्तर्गत आने वाले विभिन्न पंचायतों के मुखियागण द्वारा किये गये प्रश्नों का समाधान

- प्रश्न–जिले में हरा राशन कार्डधारी को 7 माह से राशन नहीं मिला है, इसका समाधान किया जाय।

  उत्तर– इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है। सभी हरा राशन कार्डधारियों को जितने माह का अनाज नहीं मिला है, उन्हें उतने माह का राशन दिया जायेगा।

- प्रश्न–पंचायत चुनाव के बाद अब तक निगरानी समिति का गठन नहीं हुआ है।

  उत्तर–इस पर आयोग द्वारा कहा गया कि जिले में निगरानी समिति का गठन हुआ है अथवा नहीं, इससे सम्बन्धित प्रतिवेदन जिला आपूर्ति पदाधिकारी एक सप्ताह के अन्दर आयोग को भेजें।

- प्रश्न–जिन अयोग्य राशन कार्डधारियों का कार्ड रद्द किया जाता है, तो उसी क्षेत्र के योग्य लाभुक का राशन कार्ड बनाया जाय।

  उत्तर–इस पर अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, जामताड़ा को निर्देश दिया गया कि जिस क्षेत्र के अयोग्य कार्डधारियों का कार्ड रद्द होता है, तो उसी क्षेत्र के योग्य लाभुकों का राशन कार्ड बनाने की कार्रवाई किया जाय।

- प्रश्न–कुण्डी प्रखण्ड में डाकिया योजना के तहत् वितरण किये जाने वाला अनाज का बोरा सीलबन्द नहीं रहता है।

  उत्तर–आयोग द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जामताड़ा को निर्देश दिया गया कि वे इस मामले में कार्रवाई सुनिश्चित करें।

5. दुमका जिला में दिनांक–21.02.2023 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक जनसुनवाई कार्यक्रम एवं औचक स्थलीय निरीक्षण।

- दिनांक–21.02.2023 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक दुमका जिला के परिसदन भवन में जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्या के अतिरिक्त दुमका जिले के अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, सिविल सर्जन, जिला शिक्षा पदाधिकारी, आदि उपस्थित रहे। जनसुनवाई में आयोग को 02 शिकायतें प्राप्त हुई। इसके अलावे आयोग के वाट्सएप्प नम्बर पर दर्ज कुल 02 लंबित शिकायतों एवं अन्य माध्यम से प्राप्त 01 शिकायत की प्रति पुनः सम्बन्धित पदाधिकारियों को उपलब्ध कराते हुए शीघ्र कार्रवाई करने एवं कृत कार्रवाई से आयोग को अवगत कराने का निदेश दिया गया।

- जनसुनवाई कार्यक्रम में यह बात सामने आई कि शहरी क्षेत्र में जनवितरण प्रणाली दुकान माह में दो दिन ही खुलता है, जिसके कारण सभी लाभुकों को राशन नहीं मिल पाता है। साथ ही वृद्ध व्यक्तियों का अँगूठा नहीं लग पाता है, जिससे वे अनाज से वंचित हो जाते हैं।

आयोग द्वारा कहा गया कि लाभुक लिखित रूप में आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज करें, इस पर कार्रवाई की जायेगी। डीलर तक राशन पहुँचाते हुए लाभुकों के बीच वितरण किया जाना है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दुमका को निदेशित किया गया कि जनवितरण प्रणाली दुकान में लाभुकों के बीच पूरे माह राशन का वितरण कराना सुनिश्चित किया जाय।

- लाभुक श्री अशोक सिंह, वार्ड–21, जिला–दुमका द्वारा बताया गया कि इन्टरनेट की समस्या के कारण राशन प्राप्त करने में परेशानी होती है।

  आयोग द्वारा कहा गया कि राज्य सरकार द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। साथ ही जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दुमका को भी इस सम्बन्ध में जाँच–पड़ताल करने हेतु निदेशित किया गया।

- जनसुनवाई कार्यक्रम में उपस्थित एक अन्य लाभुक द्वारा बताया गया कि कई व्यक्तियों का अँगूठा ई–पॉस मशीन में नहीं लग पाता है।

  इस पर आयोग द्वारा कहा गया कि सरकार द्वारा प्रावधान किया गया है कि जिन लाभुकों का अँगूठा ई–पॉस मशीन में नहीं लग पाता है, वे अपवाद पंजी के माध्यम से राशन प्राप्त कर सकते हैं। वृद्ध लोगों को अनाज उठाव करने में कठिनाई नहीं हो, इसके लिये आयोग द्वारा विभाग से पत्राचार किया जायेगा।

- वार्ड–13, जिला–दुमका में इन्टरनेट की समस्या रहती है।

  इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दुमका को जाँच कर जाँच प्रतिवेदन 07 दिनों के अन्दर आयोग को समर्पित करने हेतु निदेश दिया गया।

- श्रीमती अर्चना कुमारी, पति–सज्जन कुमार झा, राजेन्द्र नगर, गिलान पाड़ा, जिला–दुमका के हरा राशन कार्ड को PHH में परिवर्तित करने हेतु प्राप्त आवेदन–पत्र की प्रति कार्रवाई हेतु जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दुमका को उपलब्ध कराया गया।

- अखबार के माध्यम से यह खबर प्रकाशित हुई थी कि मसलिया में अनाज नहीं मिलने के कारण लोगों द्वारा धरना दिया गया था, जो बहुत खेदपूर्ण विषय है। इस सम्बन्ध में अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, दुमका एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दुमका को व्यवस्था में सुधार लाने के लिये आवश्यक कार्य करने हेतु निदेशित किया गया।

- उपस्थित अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, दुमका को निदेशित किया गया कि जिले के हर पंचायत भवन के बाहर होर्डिंग/बैनर लगवाना सुनिश्चित करें, जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 से सम्बन्धित योजनाओं की जानकारी अंकित हो, ताकि योजनाओं की जानकारी लाभुकों को मिल सकें।

- जनसुनवाई के उपरान्त आयोग द्वारा दिनांक–21.02.2023 को प्राथमिक विद्यालय बागडूबी, दुमका–1, D-Dise Code- 20110101101 का औचक स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि विद्यालय में मेन्यू के अनुसार मध्याह्न भोजन नहीं बनाया गया है। रसोईया का माह जनवरी एवं फरवरी का मानदेय का भुगतान नहीं मिलने एवं उधार लेकर राशन मंगाये जाने की बात सामने आई है। आयोग द्वारा जिला शिक्षा अधीक्षक, दुमका को इस मामले में कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

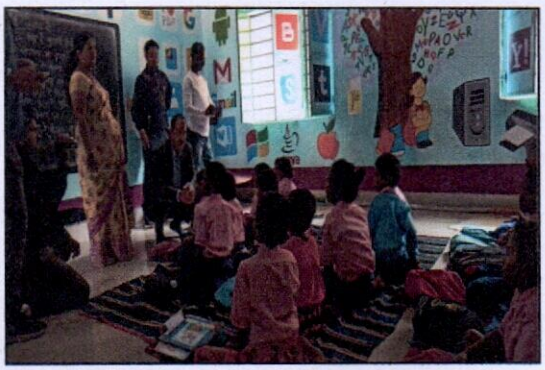

- आयोग द्वारा प्राथमिक विद्यालय, प्रखण्ड–दुमका, जिला–दुमका का औचक स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि विद्यालय में मेन्यू के अनुसार मध्याह्न भोजन नहीं बनाया गया है। साथ ही भोजन की गुणवत्ता भी खराब पाई गई। दिनांक–20.02.2023 मंगलवार को बच्चों को मध्याह्न भोजन में अण्डा नहीं मिलने की बात सामने आई। इस संदर्भ में आयोग द्वारा सख्त नाराजगी जताई गई। विद्यालय की रसोईया द्वारा बताया गया कि पैसा रहता है तो भोजन बनता है अन्यथा नहीं। निरीक्षण में उपस्थित जिला शिक्षा अधीक्षक, दुमका को इस मामले में कार्रवाई करने तथा समय–समय पर जिले के विद्यालयों का क्षेत्र भ्रमण करने का भी निदेश दिया गया।

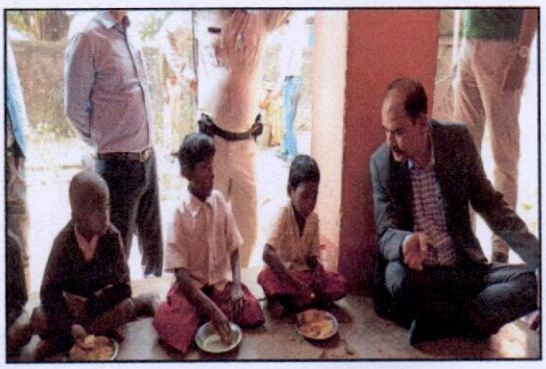

6. **दुमका जिला में दिनांक–21.02.2023 को अपराह्न 02.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक जिला के पंचायतों के मुखिया के साथ संवाद।**

- दिनांक–21.02.2023 को अपराह्न 02.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक दुमका जिला अन्तर्गत आने वाले प्रखण्डों के विभिन्न पंचायतों के मुखिया के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुखिया के साथ संवाद कार्यक्रम में जिले के 206 में से 110 पंचायतों के मुखिया उपस्थित हुए। संवाद कार्यक्रम के दौरान आयोग

के अध्यक्ष एवं सदस्या के अलावे दुमका जिले के अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, सिविल सर्जन, जिला शिक्षा अधीक्षक आदि उपस्थित रहे। सभी पदाधिकारियों द्वारा अपने–अपने विभाग के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 से सम्बन्धित योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई।

आयोग की ओर से सभी मुखियागणों के बीच किट का वितरण किया गया, जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 से सम्बन्धित यथा जनवितरण प्रणाली, आंगनबाड़ी, मध्याह्न भोजन एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से सम्बन्धित जानकारी दी गई है।

7. दुमका जिले के पदाधिकारियों द्वारा संबोधन

- अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, दुमका द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के तहत् राशन नहीं मिलने अथवा कम मिलने, विद्यालयों में मध्याह्न भोजन नहीं मिलने, आंगनबाड़ी केन्द्र में योजनाओं का लाभ नहीं मिलने पर अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज करें। प्राप्त शिकायतों पर बुधवार एवं शनिवार को सुनवाई कर आदेश पारित किया जाता है। पारित आदेश से संतुष्ट नहीं होने पर आप आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सभी मुखियागण से सहयोग की अपेक्षा की गई।
- जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दुमका द्वारा बताया गया कि जिले में कुल 2,58,130 परिवार को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 8799 PVTG परिवार के बीच खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। डीलर के पास अनाज पहुँचते ही लाभुकों के बीच वितरण किया जाना है। मुखियागण से अनुरोध किया गया कि वे अपने निगरानी में लाभुकों के बीच अनाज का वितरण कराएँ साथ ही योग्य लाभुकों की पहचान कर उन्हें भी अनाज दिलाना सुनिश्चित करें।
- जिला शिक्षा अधीक्षक, दुमका द्वारा बताया गया कि जिले में विद्यालयों के 1,45,000 बच्चों के बीच मध्याह्न भोजन का वितरण निःशुल्क किया जाता है। सप्ताह में दो दिन अण्डा देने का प्रावधान है। सभी विद्यालय में सूचना पट्ट में मेन्यू अंकित है एवं विद्यालयों में मेन्यू के आधार पर बच्चों को मध्याह्न भोजन दी जा रही है। मध्याह्न भोजन में दिये जा रहे भोजन की गुणवत्ता एवं मापदंड की निगरानी मुखियागण से करने का अनुरोध किया गया।
- जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, दुमका द्वारा बताया गया कि आंगनबाड़ी केन्द्र में गर्भवती महिलाओं को तीन किस्तों में 5000/– रू0 की राशि उपलब्ध कराई जा रही है। अप्रैल, 2022 के बाद यदि किसी महिला द्वारा दूसरी संतान के रूप में लड़की का जन्म हुआ हो तो, उसे भी

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ मिलेगा। यदि किसी पंचायत में आंगनबाड़ी केन्द्र न हो तो उस क्षेत्र के लाभुकों को दूसरे केन्द्र के साथ टैग कर दिया जाता है। केन्द्र में 83,000 बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के साथ–साथ मेन्यू के अनुसार खाना भी दिया जा रहा है। मुखियागण से अनुरोध किया गया कि वे अपने क्षेत्र के आंगनबाड़ी केन्द्र का निरीक्षण कर अपना सुझाव भी दें।

- सिविल सर्जन, दुमका द्वारा बताया गया कि आंगनबाड़ी केन्द्र में गर्भवती महिलाओं का निबंधन से सम्बन्धित कार्य सहिया द्वारा किया जाता है। प्रत्येक माह लाभुकों को केन्द्र में बुला कर Hemoglobin का जाँच कर उन्हें टीका लगाया जाता है एवं आयरन की कमी होने पर उन्हें दवाई भी दी जाती है। 06 माह से 03 वर्ष तक के बच्चों के Hemoglobin का जाँच कर उन्हें दवाई दी जा रहा है। दुमका जिला में कुल 04 कुपोषण उपचार केन्द्र हैं। इन केन्द्रों में अति कुपोषित बच्चों को भर्ती कर उनका उपचार किया जा है। केन्द्र में बच्चों के साथ रहने वाली उनकी माँ को खाना के लिये 120/– रू0 दिया जाता है।

8. दुमका जिला अन्तर्गत आने वाले विभिन्न पंचायतों के मुखियागण द्वारा किये गये प्रश्नों का समाधान

- प्रश्न–मसलिया प्रखण्ड में डीलर द्वारा अनाज कम दिया जाता है।
  उत्तर–आयोग द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दुमका को इस सम्बन्ध में जाँच कर कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया। समाधान नहीं होने पर प्रमाण सहित आयोग के वाट्सएप्प नं0 पर शिकायत दर्ज करने हेतु कहा गया।
- प्रश्न–पूरे जिले में डीलर द्वारा राशन का पर्ची नहीं दिया जाता है एवं अंत्योदय कार्डधारियों को चीनी भी नहीं मिलता है।
  उत्तर– आयोग द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दुमका को निर्देश दिया गया कि वे इस सम्बन्ध में गंभीरता से जाँच कर कार्रवाई करें।
- प्रश्न–श्री शंभू मुर्मू, मुखिया, पंचायत–रकसा, सरैयाहाट प्रखण्ड में डीलर द्वारा लाभुकों का अंगूठा ई–पॉस मशीन में लगवा कर 4 दिन के बाद राशन दिया जाता है। Weight मशीन के स्थान पर बटखारा से तौल कर राशन दिया जाता है एवं क्षेत्र में नेटवर्क की भी समस्या रहती है।
  उत्तर–इस पर आयोग द्वारा कहा गया कि लिखित रूप में शिकायत आयोग के समक्ष दर्ज करें। किसी भी हाल में एडवांस में अंगूठा नहीं लगाएँ। जिस दिन अंगूठा लगाएँ उसी दिन पर्ची के अनुसार राशन प्राप्त करें। नेटवर्क की समस्या को दूर करने हेतु राज्य सरकार द्वारा 4G डोंगल लगाया जा रहा है।

- प्रश्न–मीना कुमारी मुर्मू, पंचायत–लक्खीकुण्डी, प्रखण्ड–दुमका में वृद्ध लोगों का अंगूठा नहीं लग पाने के कारण राशन नहीं मिल पा रहा है एवं राशन कम भी मिलता है।

  उत्तर–आयोग द्वारा लाभुकों को लिखित रूप में शिकायत दर्ज करने हेतु कहा गया। इसका समाधान किया जाएगा। यदि किसी लाभुक का अंगूठा नहीं लग पाता है तो उन्हें अपवाद पंजी के माध्यम से राशन उपलब्ध कराने का प्रावधान है। साथ ही जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दुमका को निर्देश दिया गया कि वे वृद्ध लोगों को राशन दिलवाना सुनिश्चित करें।

9. गोड्डा जिला में दिनांक–22.02.2023 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक जनसुनवाई कार्यक्रम एवं औचक स्थलीय निरीक्षण।

- दिनांक–22.02.2023 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक गोड्डा जिला के परिसदन भवन में जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्या के अलावे गोड्डा जिले के अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, सिविल सर्जन, जिला शिक्षा पदाधिकारी आदि उपस्थित रहे। जनसुनवाई कार्यक्रम में आयोग को लिखित शिकायत के रूप में 01 शिकायत प्राप्त हुई, जिसकी मूल प्रति जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा को कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराई गई। इसके अलावे आयोग के वाट्सएप्प नम्बर पर दर्ज कुल 19 लंबित शिकायतों एवं अन्य माध्यम से प्राप्त 04 शिकायतों की प्रति पुनः सम्बन्धित पदाधिकारियों को उपलब्ध कराते हुए लंबित शिकायतों पर एक सप्ताह के अन्दर कार्रवाई करने एवं कृत कार्रवाई प्रतिवेदन से आयोग को अवगत कराने का निदेश दिया गया।

- जनसुनवाई कार्यक्रम में हरा राशन कार्डधारियों को राशन नहीं मिलने की बात सामने आई। इस पर आयोग द्वारा बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा हरा राशन कार्डधारियों के बीच अनाज का वितरण करने हेतु टेंडर किया गया है, जो जल्द ही पूरा हो जायेगा। सभी हरा राशन कार्डधारियों को जितने माह का अनाज नहीं मिला है, उन्हें उतने माह का राशन दिया जायेगा।

- आयोग द्वारा कहा गया कि लाभुक एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के तहत् कहीं से भी राशन प्राप्त कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में लाभुकों को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के माध्यम से जागरूक किया जाय।
- कार्यक्रम में उपस्थित पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 से सम्बन्धित योजनाओं की जानकारी लोगों को होर्डिंग/बैनर के माध्यम से लाभुकों को दिया जाय, ताकि योजनाओं की जानकारी लाभुकों को मिल सके।
- राशन डीलर को निलंबित करने से पहले लाभुकों को इस बात की जानकारी दी जाय कि उन्हें किस डीलर के साथ टैग किया गया है।
- आयोग द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा को निदेश दिया गया कि लाभुकों द्वारा दिए गए आवेदन की स्थिति से उन्हें अवगत कराना सुनिश्चित किया जाय।
- जनसुनवाई में यह बात सामने आई कि माह अक्टूबर में PMGKAY का आवंटन कम मिला था। इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा विभाग से पत्राचार किया जायेगा।
- जनसुनवाई के उपरान्त आयोग द्वारा दिनांक–22.02.2023 को उत्क्रमित मध्य विद्यालय, कठौन (हिन्दी), अंचल–पौड़ैयाहाट (प0), जिला–गोड्डा का औचक स्थलीय निरीक्षण किया गया। कुल–103 बच्चों के लिये भोजन बनाया गया था। आयोग के अध्यक्ष द्वारा भोजन को खा कर गुणवत्ता भी परखा गया, जिसमें दाल ठीक से नहीं पके जाने पर हेडमास्टर के समक्ष नाराजगी भी जताई गयी। विद्यालय के बच्चों द्वारा फल के स्थान पर बिस्कुट दिये जाने एवं शौचालय की बदहाल स्थिति की शिकायत की गयी। बच्चों को न तो भेज बिरयानी मिलता है और न ही नींबू चावल मिलता है। निरीक्षण के क्रम में उपस्थित जिला शिक्षा अधीक्षक, गोड्डा को आयोग द्वारा हेडमास्टर के विरूद्ध कार्रवाई करने एवं बच्चों की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए, कृत कार्रवाई से आयोग को अवगत कराने हेतु निदेशित किया गया। निरीक्षण के क्रम में यह भी पाया गया कि एक ही कमरे में तीन कक्षाएँ संचालित हो रही है। विद्यालय के दीवार पर मध्याह्न भोजन से सम्बन्धित पुराना मेन्यू अंकित होने एवं कूकिंग गैस के

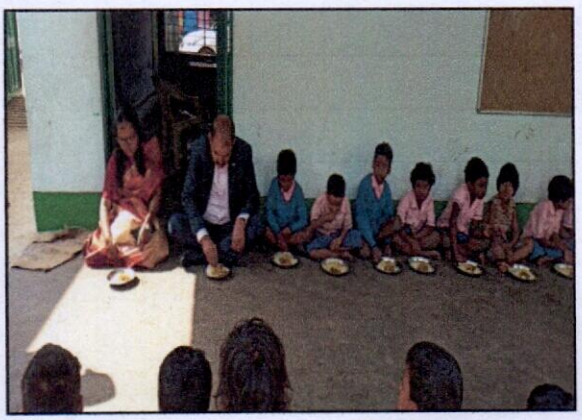

स्थान पर लकड़ी में भोजन बनाये जाने की बात सामने आई है। आयोग द्वारा इस सम्बन्ध में विभाग से पत्राचार किये जाने की बात कही गयी।

10. गोड्डा जिला में दिनांक–22.02.2023 को अपराह्न 02.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक जिला के पंचायतों के मुखिया के साथ संवाद।

- दिनांक–22.02.2023 को अपराह्न 02.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक गोड्डा जिला अन्तर्गत विभिन्न पंचायतों के मुखिया के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुखिया के साथ संवाद कार्यक्रम में जिले के 107 में से 51 पंचायतों के मुखिया उपस्थित हुए। संवाद कार्यक्रम के दौरान आयोग के अध्यक्ष, श्री हिमांशु शेखर चौधरी एवं सदस्या, श्रीमती शबनम परवीन के अलावे गोड्डा जिले के अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सिविल सर्जन, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी की प्रतिनिधि आदि उपस्थित रहे। सभी पदाधिकारियों द्वारा अपने–अपने विभाग के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 से सम्बन्धित योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई।

आयोग की ओर से सभी मुखियागणों के बीच किट का वितरण किया गया, जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 से सम्बन्धित यथा जनवितरण प्रणाली, आंगनबाड़ी, मध्याह्न भोजन एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से सम्बन्धित जानकारी दी गई है।

11. गोड्डा जिले के पदाधिकारियों द्वारा संबोधन

- अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, गोड्डा द्वारा मुखियागण को संबोधित करते हुए कहा गया कि राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अन्तर्गत संचालित योजनाएँ यथा–जनवितरण प्रणाली, आंगनबाड़ी केन्द्र, मध्याह्न भोजन एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की शिकायत होने पर लाभुक शिकायत दर्ज करें, इसका समाधान किया जाएगा। मुखियागण के माध्यम से ही जनता जागरूक हो सकती है। सभी मुखियागण से अनुरोध किया गया कि उपरोक्त योजनाओं की निगरानी करना सुनिश्चित करें एवं अपना सुझाव भी दें।
- जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा द्वारा मुखियागण को संबोधित करते हुए बताया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 का लाभ लाभुकों तक पहुँचाना है। PH कार्डधारी को प्रति सदस्य 5

कि0ग्रा0 निःशुल्क एवं अंत्योदय राशन कार्डधारी को प्रति परिवार 35 कि0ग्रा0 राशन निःशुल्क उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

- जिला शिक्षा अधीक्षक, गोड्डा द्वारा बताया गया कि केन्द्र सरकार द्वारा मध्याह्न भोजन संचालित है, जिसे अब पी0एम0 पोषण के नाम से जाना जाता है। जिले में 1540 विद्यालय संचालित है, जहाँ लगभग 2,50,000 बच्चों को मध्याह्न भोजन का लाभ दिया जा रहा है। कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों को मेन्यू के अनुसार गर्म पका–पकाया भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। बच्चों को दिये जाने वाले भोजन की पौष्टिकता एवं साफ–सफाई पर विशेष ध्यान रखा जाता है एवं समय–समय पर जाँच भी किया जाता है। जिले के 240 विद्यालयों को चिन्हित कर पोषण वाटिका के रूप में विकसित किया जाएगा, जहाँ फलदार वृक्ष एवं हरी सब्जीयों का पौधा लगाया जाएगा। सभी मुखियागण से अनुरोध किया गया कि वे अपने स्थानीय विद्यालयों का समय–समय पर निरीक्षण करें।

12. गोड्डा जिला अन्तर्गत आने वाले विभिन्न पंचायतों के मुखियागण द्वारा किये गये प्रश्नों का समाधान

- प्रश्न–गोड्डा जिला में डीलर द्वारा लाभुकों को राशन कम दिया जाता है।
  उत्तर–आयोग द्वारा कहा गया कि आप लिखित रूप में इसकी शिकायत दर्ज करें, इसका समाधान किया जाएगा।
- प्रश्न–श्री गौतम कुमार गुप्ता, मुखिया, पंचायत–हिलावै, बसंतराय प्रखण्ड द्वारा बताया गया कि लाभुकों को राशन वितरण की जानकारी नहीं मिलती है, आधार सीडिंग में गड़बड़ी हो रही है, नाम किसी और का, आधार किसी और का। जनवितरण प्रणाली के वितरण पंजी में मुखिया से हस्ताक्षर कराया जाय।

  उत्तर– जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा द्वारा कहा गया कि आधार से सम्बन्धित समस्या को दूर करने हेतु लाभुकों के आधार की प्रति लेकर सुधार कर दिया जाएगा। आयोग द्वारा कहा गया कि वितरण पंजी में मुखिया का हस्ताक्षर एवं मोहर दर्ज कराने हेतु विभाग से पत्राचार किया जाएगा।
- प्रश्न–आकस्मिक खाद्यान्न कोष का इस्तेमाल कैसे करना है ?

  उत्तर–जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा द्वारा बताया गया कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं उन्हें बाजार दर पर 10 कि0ग्रा0 राशन खरीद कर उपलब्ध कराना है। इसके विरूद्ध प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा आपको भुगतान किया जाएगा। इस पर आयोग द्वारा कहा गया कि मुखिया यह कोशिश करें कि योग्य व्यक्तियों का राशन कार्ड बन जाए। जिन लोगों के समक्ष भोजन का संकट हो, उन्हें 10 कि0ग्रा0 राशन उपलब्ध कराया जाए।

- श्री इगनासियुस मुर्मू, मुखिया–सह–मुखिया संघ के अध्यक्ष, मानिकपुर पंचायत, प्रखण्ड–ठाकुरगंगटी द्वारा बताया गया कि 25 अयोग्य कार्डधारियों का कार्ड सरेंडर कराया गया। जिस पंचायत के लोगों का राशन कार्ड सरेंडर कराया जाता है या नाम काटा जाता है, तो उसी क्षेत्र के लोगों का राशन कार्ड बनाया जाय या कार्ड में नाम जोड़ा जाय। डीलर को समय पर राशन उपलब्ध नहीं कराया जाता है। प्रखण्ड में एक रोस्टर बनाया जाय एवं उसी के अनुरूप ही राशन का वितरण कराया जाय।

  उत्तर–आयोग द्वारा कहा गया कि इस मामले में विभाग से पत्राचार किया जाएगा कि जिस क्षेत्र के लोगों का राशन कार्ड सरेंडर अथवा रदद् किया जाता है, तो उसी क्षेत्र के लोगों का राशन कार्ड बनाया जाय। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि प्रखण्ड में जितने मुखिया हैं, उनके साथ बैठक कर उनकी समस्या का समाधान करें।

- प्रश्न–मृत लोगों का नाम हटा कर नये लोगों का नाम जोड़ा जाय।

  उत्तर–इस पर आयोग द्वारा कहा गया कि मुखिया मृत लोगों का डाटा उपलब्ध कराएँ, ताकि उनका नाम हटा कर नये लोगों का नाम जोड़ा जा सके।

- प्रश्न–जिले के सभी जनवितरण प्रणाली केन्द्र में बोलने वाला Weight मशीन लगाया जाय।

  उत्तर–आयोग द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा को कार्रवाई करने हेतु निर्देश दिया गया।

- प्रश्न–डीलर द्वारा माह में केवल 2 या 3 दिन ही दुकान खोला जाता है।

  उत्तर–जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा द्वारा कहा गया कि सोमवार को छोड़कर शेष सभी दिन दुकान खुला रखने का प्रावधान है। यदि उक्त से सम्बन्धित कोई शिकायत हो, तो आप लिखित रूप में शिकायत दर्ज करें, इस पर कार्रवाई की जाएगी।

13. आयोग के अध्यक्ष का संबोधन

- झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष, श्री हिमांशु शेखर चौधरी द्वारा तीनों जिलों के मुखिया से संवाद कार्यक्रम में उपस्थित मुखियागण को संबोधित करते हुए कहा गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 से सम्बन्धित पूरी व्यवस्था पंचायत के मुखिया पर ही टिकी हुई है। जिस प्रकार नींव मजबूत होगा, तो इमारत भी मजबूत होगी।

उनके द्वारा कहा गया कि मुखिया समाज के नींव होते हैं, वे सशक्त और जागरूक होंगे, तभी आम

जनता भी सशक्त और जागरूक हो पायेगी, योजनाएँ धरातल पर उतर सकेगी एवं कोई भी लाभुक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के लाभ से वंचित नहीं होंगे। अधिनियम के अन्तर्गत संचालित योजनाएँ समाज के गरीब एवं निचले स्तर के लोगों के लिये है। सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 से सम्बन्धित विभिन्न योजनाएँ संचालित है, किन्तु जानकारी एवं जागरूकता के अभाव में लाभुकों तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुँच पा रहा है। अध्यक्ष द्वारा मुखियागणों से कहा गया कि जिले में संचालित योजनाओं की निगरानी करना मुखिया की ही जिम्मेवारी है। आम जनता को जागरूक एवं सशक्त बनाना तथा अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाना ही इस संवाद का मुख्य उद्देश्य है। इसलिये आयोग ने अपना टैग लाईन बनाया है– ***"अधिकार जानें, अधिकार मांगे"***। जिले के असहाय, एकल व्यक्ति, विधवा महिला, विकलांग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों तक खाद्य सुरक्षा का लाभ पहुँच सके, यह सुनिश्चित करने में मुखिया की भूमिका महत्वपूर्ण है। जिन जिलों के अधिकारी संवेदनशील नहीं हो तो ऐसे में आप मुखियागण की जिम्मेवारी है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से सम्बन्धित शिकायतों को आयोग के समक्ष लाएँ। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 से सम्बन्धित योजना में किसी प्रकार की गड़बड़ी पाये जाने अथवा किसी प्रकार की शिकायत होने पर आयोग के वाट्सएप्प नंबर–9142622194 पर शिकायत दर्ज करने का आग्रह किया गया।

- आयोग के अध्यक्ष ने अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी को विशेष निर्देश दिया कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी प्रावधानों की स्पष्ट जानकारी होर्डिंग्स और अन्य माध्यमों से प्रचार–प्रसार कर लोगों को जागरूक करें। यथा संभव जनवितरण प्रणाली, मध्याह्न भोजन, आंगनबाड़ी केन्द्र एवं कुपोषण उपचार केन्द्र आदि से सम्बन्धित होर्डिंग्स पंचायत भवनों में लगाना सुनिश्चित करवायें।
- आयोग के अध्यक्ष द्वारा सभी मुखियागणों से अपने पंचायत के किसी सार्वजनिक स्थान पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 से सम्बन्धित योजना यथा–जनवितरण प्रणाली, मध्याह्न भोजन योजना, समेकित बाल विकास योजना एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से सम्बन्धित होर्डिंग्स/पोस्टर लगाने एवं उसमें खाद्यान्न तथा पोषाहार से सम्बन्धित प्रत्येक पहलुओं को अंकित करने का अनुरोध किया गया। यह भी अनुरोध किया गया कि जनवितरण प्रणाली वितरण केन्द्र के बाहर बोर्ड लगवाना सुनिश्चित करें, जिसमें राशन का आवंटन, राशन वितरण की तिथि, पात्रता के अनुसार राशन का वितरण एवं लाभुकों की सूची अंकित करायें। इसी तरह विद्यालयों में संचालित मध्याह्न भोजन एवं आंगनबाड़ी केन्द्र के बाहर भी बोर्ड लगवाना सुनिश्चित करें, जिसमें सरकार के

प्रावधान के अनुसार मेन्यू के आधार पर मिलने वाला मध्याह्न भोजन/पोषाहार, खाने की पौष्टिकता, लाभुकों की संख्या आदि अंकित हो।

- आयोग के अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि राशन कार्ड बनाने की एक प्रक्रिया है, जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा भी हरा राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। रिक्ति नहीं रहने के कारण राशन कार्ड भी निर्गत नहीं किया जा सकता है। पंचायत के मुखिया को भी इस बात का संज्ञान होगा कि कई सम्पन्न परिवारों के पास राशन कार्ड है, जबकि गरीब एवं असहाय व्यक्तियों का कार्ड नहीं बन पा रहा है। इस हेतु सभी मुखियागण से अनुरोध किया गया कि राशन कार्ड के लिये जो लोग अयोग्य हैं एवं यदि उनके पास राशन कार्ड है, तो ऐसे लोगों को चिन्हित कर, उनका राशन कार्ड सरेंडर कराते हुए, योग्य लोगों को राशन कार्ड बनवाने में सहयोग करें। मुखिया समाज की अहम कड़ी हैं, उनके सहयोग के बिना यह कार्य नहीं किया जा सकता है। इसलिये आप जागरूक होंगे, तो समाज भी जागरूक होगा। सभी मुखियागण से अनुरोध किया गया कि वे लाभुकों को उनके अधिकार दिलाने में सहायता करें।
- आयोग के अध्यक्ष द्वारा सभी मुखियागण को संबोधित करते हुए कहा गया कि यदि किसी की मौत भूख से होती है तो इसकी जवाबदेही मुखिया की ही होगी। किसी की मौत भूख से नहीं हो, इसलिये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 का गठन किया गया है। पंचायत स्तर पर मुखिया निगरानी समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं। निगरानी समिति के अध्यक्ष होने के नाते आप मुखियागण नियमित रूप से समिति की बैठक करायें एवं बैठक से सम्बन्धित कार्यवाही की प्रति आयोग को भी दें। अधिकारियों के सहयोग से मुखियागण योजनाओं को सही ढंग से लागू करवाने में सहयोग करें एवं अपने पंचायत में भ्रष्टचार को पनपने न दें। किसी प्रकार की शिकायत मिलने पर अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के पास लिखित रूप में प्रमाण के साथ शिकायत दर्ज कराएँ। यदि उनके द्वारा 30 दिनों के अंदर आपके शिकायत का निवारण नहीं किया जाता है अथवा उनके द्वारा किये गये कार्रवाई से शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं हैं, तो शिकायतकर्ता झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग के वाट्सएप्प नंबर – 9142622194 या ईमेल – jharfoodcommission@gmail.com पर पूर्व में किये गये शिकायत की प्रति एवं अन्य प्रमाण के साथ अपनी अपील दर्ज करा सकते हैं। मुखियागण से अनुरोध किया गया कि आपसी रंजिश/आपसी झगड़ा में किसी की शिकायत न करें, शिकायत प्रमाणिक होगी, तभी आयोग द्वारा कार्रवाई की जाएगी।
- आयोग के अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि भोजन लोगों का मौलिक अधिकार है। किसी की मौत भूख से न हो एवं किसी के समक्ष भोजन का संकट न हो, इसलिये सरकार द्वारा झारखण्ड आकस्मिक

खाद्यान्न कोष नामक फंड के तहत् प्रत्येक पंचायत के मुखिया को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के माध्यम से 10,000/– रू0 की राशि उपलब्ध कराई जाती है। इसके अन्तर्गत असहाय/एकल व्यक्ति/विधवा/समाज के कमजोर वर्ग अथवा जिन लोगों के सामने भोजन का संकट हो, उन्हें बाजार दर पर अनाज खरीद कर उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। झारखण्ड आकस्मिक खाद्यान्न कोष के माध्यम से मुखिया को प्राप्त 10,000/– रू0 की राशि समाप्त होने पर, वे प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को सूचित करें, उन्हें पुनः 10,000/– रू0 का फंड उपलब्ध कराया जाएगा। सभी मुखियागण से अनुरोध किया गया कि वे अपने–अपने क्षेत्र में विशेष ध्यान दें कि किन्हीं को अनाज से सम्बन्धित कोई समस्या न हो।

- आयोग के अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि राज्य में 95 प्रतिशत PDS दुकान ऑनलाईन हो चुका है। **"एक राष्ट्र एक राशन कार्ड"** योजना के तहत् ऑनलाईन दुकान से सम्बद्ध कोई भी लाभुक देश भर में किसी भी राज्य के किसी जिले के किसी प्रखण्ड अथवा पंचायत एवं किसी भी ऑनलाईन जनवितरण प्रणाली केन्द्र से राशन का उठाव कर सकता है। लाभुक द्वारा राशन के लिये अंगूठा लगाया जाता है, तो ई–पॉस मशीन से निकलने वाले पर्ची में अंकित मात्रा के अनुरूप उन्हें राशन दिलाना मुखियागण सुनिश्चित करें। जिन लाभुकों का अंगूठा मशीन में नहीं लगता है, उनके लिए डीलर को अपवाद पंजी में संधारित करने का विभागीय निदेश प्राप्त है। अपवाद पंजी की मुखिया अपने स्तर से जाँच करें कि कहीं कोई गड़बड़ी न कर सके। मुखियागण लाभुकों को बतायें कि किसी भी हाल में एडवांस में अंगूठे का निशान नहीं लगायें, इससे राशन वितरण में गड़बड़ी होने की आशंका बनी रहती है। PVTG के तहत् लाभुक को प्रत्येक माह सील बंद पैकेट में 35 कि0ग्रा0 राशन निःशुल्क उनके घर तक पहुँचाने का प्रावधान है, इसमें किसी प्रकार की कोई राशि लाभुकों से नहीं ली जाती है।
- आयोग के अध्यक्ष द्वारा अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि डीलर को सस्पेंड करने अथवा उनके विरूद्ध कार्रवाई करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी लाभुकों को किस डीलर के साथ संबद्ध किया गया है, इसकी सूचना लाभुकों को ससमय दी जाए। ताकि लाभुकों को राशन निर्बाध रूप से मिल सके।
- प्रत्येक विद्यालय के बाहर मध्याह्न भोजन से सम्बन्धित सूचना पट्ट लगाने एवं मेन्यू के अनुसार बच्चों को मध्याह्न भोजन देने का प्रावधान है। आयोग के अध्यक्ष द्वारा सभी मुखियागण से अनुरोध किया गया कि वे यह सुनिश्चित करें कि यदि विद्यालय में सूचना पट्ट में मेन्यू नहीं लगा हुआ हो एवं बच्चों को मेन्यू के अनुसार मध्याह्न भोजन नहीं दिया जा रहा हो, तो वे जिले के अपर

समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी अथवा राज्य खाद्य आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज करायें।

- आयोग के अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि आंगनबाड़ी केन्द्र के बाहर भी सूचना पट्ट में मेन्यू के अनुरूप दिये जाने वाले पोषाहार एवं अन्य योजनाओं से सम्बन्धित जानकारी प्रदर्शित कराना एवं केन्द्र की निगरानी करना मुखिया की जिम्मेवारी है। आंगनबाड़ी केन्द्र में गर्भवती महिलाओं/धात्री माताओं को दी जाने वाली सुविधा के सम्बन्ध में जागरूक करने का भी कार्य मुखियागण को ही करना है। मुखियागण से अनुरोध किया गया कि वे अपने क्षेत्र में वैसे बच्चों की पहचान करें, जो बच्चे अति कुपोषित हैं, उम्र के अनुसार उनका लंबाई न बढ़ना अथवा कम वजन हो, तो ऐसे बच्चों के माता–पिता को इन बच्चों को कुपोषण उपचार केन्द्र में भर्ती कराने हेतु प्रेरित करें। उनका ईलाज ***"कुपोषण उपचार केन्द्र (MTC)"*** में करने का प्रावधान है। बच्चे के ईलाज के दौरान यदि माँ भी बच्चे के साथ केन्द्र में रहना चाहती हों, तो उन्हें भोजन के लिए प्रतिदिन 130/– रू0 की राशि देने का भी प्रावधान है।

  सरकार द्वारा लाभुकों के लिए योजनाएँ बनाई जाती है। किन्तु यदि इसका लाभ जनता तक सही ढंग से नहीं पहुँच पा रही है तो इसकी निगरानी मुखियागण को ही करना है। संवाद करने का यही मुख्य उद्देश्य है कि सरकार की योजनाएँ आपके माध्यम से जनता तक पहुँच सके।

- जामताड़ा जिला के मुखिया द्वारा बताया गया कि उन्हें निगरानी समिति के गठन की जानकारी नहीं है। इस पर अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि नवनिर्वाचित मुखिया को निगरानी समिति की जानकारी नहीं होना अत्यन्त दुखद है। निगरानी समिति में सम्बन्धित पंचायत के मुखिया उस समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं। इससे सम्बन्धित जानकारी मुखिया को किट के माध्यम से दी गई। इसी प्रकार दुमका जिला में भी निगरानी समिति गठित नहीं है। इस सम्बन्ध में अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, दुमका को निर्देश दिया गया कि वे एक सप्ताह के अन्दर निगरानी समिति का गठन कर आयोग को सूचित करें। उपस्थित सभी पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि वे आपस में समन्वय स्थापित कर जिले के सभी मुखिया को निगरानी समिति की संपूर्ण जानकारी दें।

- आयोग के अध्यक्ष द्वारा घोषणा की गई कि राज्य के हर जिले के ऐसे पंचायतों के मुखिया जो अपने पंचायत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 को पारदर्शी एवं प्रभावी तरीके से क्रियान्वित करायेंगे, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। प्रत्येक जिला से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार दिये जाने का निर्णय लिया गया है। आयोग के स्थापना दिवस 9 दिसम्बर के दिन कार्यक्रम आयोजित कर राज्य भर में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मुखिया को पुरस्कृत और सम्मानित किया जायेगा।

14. आयोग की सदस्या का संबोधन

- आयोग की माननीय सदस्या, श्रीमती शबनम परवीन द्वारा बताया गया कि खाद्यान्न की समस्या से निपटने के लिये ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 का गठन किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के तहत् संचालित योजनाओं की जानकारी मुखियागण को किट के माध्यम से दिया गया। योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु कौन व्यक्ति योग्य है और कौन नहीं, इस पर मुखियागण को ही विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी कार्डधारी को अनाज कम नहीं मिले, विद्यालय में बच्चों को मेन्यू के अनुसार मध्याह्न भोजन मिले, आंगनबाड़ी केन्द्रों में गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं एवं बच्चों को योजना का लाभ निर्बाध रूप से मिल सके, यह मुखिया को ही सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अन्तर्गत योजना को लागू करना एक बहुत बड़ी चुनौती है, इससे निपटने के लिए मुखियागण का सहयोग अपेक्षित है।
- अन्त्योदय राशन कार्ड में प्रति परिवार 35 कि0ग्रा0 राशन निःशुल्क, PHH राशन कार्ड में प्रति सदस्य 5 कि0ग्रा0 राशन निःशुल्क एवं PVTG परिवार को 35 कि0ग्रा0 राशन निःशुल्क सील बन्द बोरे में उनके घर तक पहुँचा कर देने का प्रावधान है। मुखियागण इस बात को सुनिश्चित करें कि डीलर द्वारा लाभुकों को पर्ची के अनुसार अनाज दिया जाय। अयोग्य लाभुकों का नाम राशन कार्ड से हटवाते हुए योग्य लाभुकों का राशन कार्ड बनाने का कार्य मुखियागण को ही देखना है।

15. दिनांक–23.02.2023 को आयोग द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों का औचक स्थलीय निरीक्षण।

- आयोग द्वारा गोड्डा के कठौन (नाजिर टोला पू0) आंगनबाड़ी केन्द्र का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि केन्द्र में कुल बच्चों की सं0–42 है। वर्ष–2016 में 2 या 3 बार ही बच्चों के बीच अण्डा का वितरण किया गया, उसके बाद से अण्डा का वितरण अब तक बन्द है। गर्भवती महिलाओं के बीच दलिया का वितरण किया जा रहा है। किन्तु PMMVY के तहत् 5000/– रू0 की राशि लाभुकों को नहीं मिली है। केन्द्र की सेविका एवं सहिया को गर्भवती महिलाओं का निबंधन करने हेतु विशेष ध्यान देने के लिये कहा गया।

- आयोग द्वारा एक अन्य आंगनबाड़ी केन्द्र ग्राम–भटौंधा, बहियार टोला (केन्द्र कोड–20351060522) का भी औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में सुपरवाइजर, उषा किरण टुडू ने बताया गया कि वर्ष–2019 में केवल दो बार ही बच्चों के बीच अण्डा का वितरण किया गया है, उसके बाद से केन्द्र में अण्डा का वितरण बन्द है। यह भी कि केन्द्र में गैस चूल्हा तो उपलब्ध कराया गया है किन्तु गैस रिफिलिंग की राशि उपलब्ध नहीं होने के कारण लकड़ी पर खाना बनाया जा रहा है। इस पर आयोग द्वारा नाराजगी जाहिर की गई। केन्द्र की सेविका को समय पर गर्भवती महिलाओं का निबंधन कराने हेतु निर्देश दिया गया। साथ ही प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पोड़ैयाहाट को आंगनबाड़ी केन्द्रों की समस्याओं को दूर करने हेतु निर्देश दिया गया।

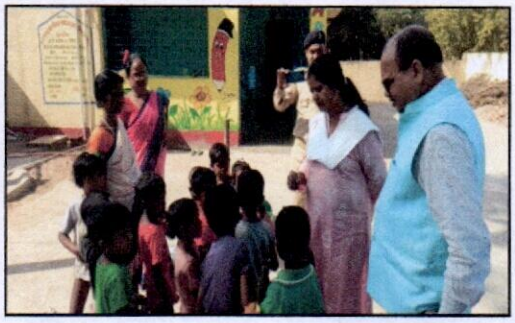

इसके साथ जामताड़ा, दुमका एवं गोड्डा का भ्रमण कार्यक्रम समाप्त हुआ।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।